राज्य द्वारा वसूल की जायगी और बाद में उन राज्यों को दे दी जायेगी। इसके अलावा परमिटधारी को प्रतिवर्ष प्रति बस 500 रु० की प्राधिकरण फीस भी चुकानी होगी, जो राशि 'गृह' राज्य के पास रहेगी।

Traffic accidents in Delhi

3884. SHRI SHIV SAMPATI RAM Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are concerned with the increasing number of traffic accidents in Delhi;

(b) the particular reasons for increase in the number of traffic accidents in Delhi;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to prepare an effective scheme and implement it to reduce the number of traffic accidents;

(d) what other measures are proposed to be taken in this regard; and

(e) steps government propose to take to prevent drunken driving?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b): The Government are anxious to reduce the number of traffic accidents. The main reasons for the accidents are:

(i) Increase in the number of motor vehicles and slow moving vehicles.

(ii) Rapid growth of population industrial, business and residential colonies.

(iii) Heterogenous nature of the traffic.

(c) to (e): Traffic police is carrying out surprise checks for over-speeding, over-loading and negligent driving. Road Safety Education drive has been launched and audio-visual aids are also being used for this purpose. Restrictions have been imposed on plying of Heavy Transport Vehicles and certain roads have been made one way. The Delhi Motor Vehicles Rules, 1940 has been amended to provide for compulsory wearing of helmets by drivers of two wheeler vehicles. Roads and road inter-sections have also been improved. Checking squads have been set up by D.T.C. to check hazardous driving by their drivers. Action against drunken drivers has been intensified and they are being subjected to breathalyser test and medical examination. The Working group set up at the instance of the Planning Commission has identified a short range programme in the development of Integrated Public Mass Transport system which envisages development and operation of inter-Urban Railway Services along the ring railway corridor, optimization of the bus system and development of supplementary road system to facilitate the public transport system.

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा

3885. **श्री राम प्रसाद देशमुख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों तथा बम्बई की सेल्स यूनिट द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण में विज्ञापन दाताओं को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ; और

(ख) दिल्ली वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्र द्वारा विज्ञापन दाताओं को समय का आबंटन करने के बारे में क्या कसौटी अपनायी जाती है तथा प्राथमिकता देने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) आकाशवाणी के वाणिज्यिक केन्द्रों और केन्द्रीय विक्रय यूनिट द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों को बुक करने

के लिए प्राथमिकता का निम्नलिखित क्रम निर्धारित किया गया है :—

(1) खाद्य और खाद्य उत्पादन, जिसमें कृषि यन्त्र, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, फल, सब्जियां, आदि शामिल हैं।

(2) कपड़े।

(3) आश्रय, जिसमें घर, आवासीय वस्तुएं, आदि शामिल हैं।

(4) वे चीजें जो उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित हैं जैसे परिवहन, उपकरण, बिजली का सामान, उपभोज्य मशीनें आदि।

(5) रसायन।

(6) मिष्ठान, पोषणिक पेय, आदि।

तथापि, जुलाई, 1975 से लगभग सभी वाणिज्यिक केन्द्रों में समय का अधोविकर्ष है। इसलिए सभी केन्द्रों (दिल्ली केन्द्र सहित) द्वारा बुकिंग ऊपर बताई गई प्राथमिकताओं के अनुसार, "पहले आवे सो पहले पावे" के आधार पर की जा रही है।

(ख) दिल्ली वाणिज्यिक केन्द्र द्वारा विज्ञापकों को समय का आबंटन करने में अपनाया गया मापदण्ड और प्राथमिकता देने के नियम वही है जो ऊपर (क) में दिए गए है।

Welfare facilities of CSF in Food Depots

3886. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the welfare facilities provided to the Central Security Force personnel in Food Depots?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): The managements of the Depots of the Food Corporation of India are providing newspapers and other reading material, indoor games equipment, outdoor sports gear and radio sets to the CISF personnel. Government funds at the rate of Rs. 3 per head per year for provision of amenities are also available.

कोका कोला का उत्पादन बन्द करने का निर्णय

3887. **श्री उग्रसेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कोका कोला का उत्पादन बन्द करने का निर्णय कब लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 29 अप्रैल, 1977 को आदेश जारी किये थे जिनके अन्तर्गत कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन से यह कहा गया था कि वह कम्पनी में आदेश मिलने की तारीख अर्थात् 5 मई, 1978 से एक वर्ष के भीतर अपने आपको 60 प्रतिशत से अनधिक गैर-आवासीय हितों की एक भारतीय कम्पनी के रूप में बदल ले। कम्पनी यह आदेश मानने के लिये सहमत हो गई थी बशर्ते कि अमरीकी कोका कोला कम्पनी को कोका कोला सान्द्रण बनाने पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत में एक किस्म नियन्त्रण एवं सम्पर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी जाती है। आवेदन पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 5 अगस्त, 1977 का प्रस्ताव रद्द करने के आदेश जारी कर दिये थे। इसके पश्चात् कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को दूसरा अभ्यावेदन यह कहते हुए दिया था कि चूंकि अमरीकी कम्पनी का किस्म नियन्त्रण कार्यालय स्थापित करने का उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है इसलिये वे कोका कोला तथा फैण्टा के